जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त संस्थान

निविदा प्रपत्र

वाहन अनुबन्ध पर लेने हेतु

विषय:- वाहन अनुबन्ध पर लेने हेतु निविदा।

निविदादाता का नाम : ....

पत्राचार का स्थायी पता: ....

....

.... दूरभाष नम्बर ....

निविदा फार्म शुल्क की राशी रूपये ः **100/-**

नकद रसीद संख्या........... दिनांक........

के व्दारा जमा कराई जा चुकी है। / बैंक ड्राफ्ट सं. .... दिनांक

.... संलग्न है।

अमानत राशि के निमित्त रूपये ः **2000/-**

(अक्षरी दो हजार रूपये) बैंक ड्राफ्ट सं.

.... दिनांक .... संलग्न है।

निविदा में दी गई दरें अनुबन्ध पर वाहन उपलब्ध करवाने की तिथि से दो वर्ष तक वैध होगी!

निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो क सं.१ से २५ हमें स्वीकार है। इसके प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

टाटा. **Qualis,** तवेरा बोलेरो महिन्दा स्कापिओ (मॉडल**2015-18**)

अनुबन्ध पर लेने हेतु दरें निम्न प्रकार होगी।

विवरण	वाहन संख्या	मॉडल नाम व वष	ड्राइवर सहित वाहन किराया बिना किसी सीमा के पतिमाह दर	ईंधन प्रति लीटर कि॰मी॰ औसत परिचालन **(Average)**
टाटा				
Qualis				
तवेरा				
बोलेरो				
महिन्दा				
स्कापिओ				

उपरोक्त दरें कार्यालय में वाहन उपलब्ध करवाने की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगे भी बढाया जा सकेगा।

दिनांक ः.............. हस्ताक्षर (निविदादाता)

सील फर्म व पूरा पता:-

मोबाईल

वाहन किराये पर अनुबन्धित करने की शर्ते एवं निबन्धन

१. निविदादाता अनुमोदित वाहन मय चालक अथवा मित्र चालक के अनुमोदित दर पर बिना कि.मी. सीमा के किराये पर नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रिय कार्यालय पुणे को उपलब्ध करवायेगा जिसमें डीजल खर्चा विभाग व्दारा वहन किया जायेगा।

२. अनुबन्धित वाहन अनुबन्ध की अवधि के प्रत्येक दिवस के २४ घण्टे नवोदय विद्यालय सापुतारा के अधिरक्षण में रहेगी।

३. गाडी की आवश्यक मरम्मत हेतु प्राचार्य जवाहर नवोदय विदयालय सापुतारा के सक्षम अधिकारी की सहमति के पश्चात माह मे २ दिवस का अवकाश देय होगा।

४. उपरोक्त बिन्दु संख्या ०३ में दिए गए अवकाश के अतिरिक्त अनुबंधित वाहन की अनुपस्थिति पर निविदादाता व्दारा दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा, जो अनुबंधित वाहन के समान हो अथवा बेहतर हो। वाहन उपलब्ध नहीं / गैर हाजिर रहने पर कायालय व्दारा वाहन की व्यवस्था बाजार से उस दिन / दिनों के लिये की जायेगी, जिसका व्यय वहन व्दितीय पक्ष के बकाया बिल से किया जायेगा। अनुबंधित वाहन के विना स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर 1000/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त दण्डस्वरूप कटौती की जायेगी।

५. वाहन को राज्य से बाहर ले जाने पर पथकर इत्यादि वाहन मालिक वहन करेगा । वाहन का अधिकतर प्रयोग महाराष्ट्र, गुजरात , राज्य मे तथा दीव, दमन सिलवासा केंद्र शासित प्रदेशों में किया जायेगा।

६. वाहन से सम्बन्धित कागजात जैसे (बीमा, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन चालक का लाइसेंस आदि) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिए।

७. जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा द्वारा अनुबन्धित वाहन पर यथासम्भव एक ही निर्धारित लाइसेन्स प्राप्त एवं अनुभवी चालक कार्यरत रहेगा। वाहन चालक को बार-बार नही बदला जावेगा। वाहन चालक का विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रति व्यवहार पूर्ण रूप से अनुशासित एवं मर्यादित होगा । चालक के फोटो, नाम, पता की सूचना विभाग को देनी होगी। वाहन चालक द्वारा मदिरापान एवं अन्य मादक पदार्थो का सेवन निषेध है। वाहन चालक को वाहन मालिक द्वारा मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी ।

८. विभाग को अनुबंधित वाहन से असुविधा होने पर उसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। असुविधा होने पर किया गया व्यय बिल में से काटा जायेगा।

9. किसी प्रकार की टूट-फूट होने या दुर्घटना होने पर उपयोगकर्ता उत्तरदायी नही होगा, इसकी जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।

10. आयॅल, मरम्मत, सेवाकर एवं बीमा प्रिमियम एवं वाहन चालक का समस्त व्यय वाहन मालिक को वहन करना होगा एवं अनुबंध दर अनुबंध पर हस्ताक्षर होने या गाडी प्रस्तुत करने के दिन से (दोनो में से जो भी बाद में हो) एक वर्ष तक लागू रहेगी। फिर भी निर्धा रित अवधि से पूर्व अनुबंध खत्म करने का अधिकार विदयालय को होगा।

11. टोल टैक्स व पार्किंग चार्जेस के भुगतान वाहन प्रयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा बिल प्रमाणित होने एवं रसीद प्रस्तुत करने पर ही नविस द्वारा किये जायेगे। वाहन कोराज्य के बाहर ले जाने पर, अन्य स्टेट टेक्स, रोड टेक्स आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा।

12. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर या चालान होने पर वाहन मालिक की ही जिम्मेदारी होगी एवं विभाग उसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नही देगा।

13. वाहन मे लगा माईलो मीटर सील किया हुआ होना आवश्यक है, जो कि बिना अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नही खोला जायेगा, यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नही होगा।

14. वाहन की लॉगबुक चालक के पास रहेगी। चालक प्रत्येक यात्रा को नवोदय विद्यालय के सम्बन्धित अधिकार जिन्होने यात्रा की है से प्रविष्ठि लॉगबुक में दर्ज करवायेंगे। चालक द्वारा भरी हुई लॉगबुक मान्य नही होगी।

15. विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना दिये अनुबंधित वाहन को हटा सकता है।

16. स्त्रोत पर आयकर की कटौती (TDS) बिल में से नियमानुसार काट कर भुगतानकिया जायेगा। सेवा कर (Service Tax) पृथक से नहीं दिया जायेगा।

17. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की गैर कानुनी बात अनियमितता या अनुचित आचरण पाये जाने पर विभाग तुरन्त प्रभाव से वाहन हटा सकेगा। जिस संबंध में वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नही होगा।

18. स्वीकृत निविदादाता अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वयं के कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तो एवं कार्यो के दौरान उत्पन्न जोखिम एवं हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। समिति का इस बारे में किसी भी स्तर पर कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

१९. वाहन मालिक द्वारा दी गयी सेवाओं का भुगतान माह के अन्त में प्रस्तुत किये गये बिलों के आधार पर किया जायेगा। भुगतान के लिये लॉगबुक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

20. वाहन में इंधन जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा द्वारा डलवाया जाएगा जिसका भुगतान जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा द्वारा निविदा में अनुमोदित एवं स्वीकृत परिचालन (एवरेज) से किया जाएगा।

21. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि निकाली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ती उसके द्वारा की जाएगी।

२२. निविदा के साथ अरनेस्ट मनी के रूप में रूपये पाच हजार केवल. प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न करनी होगी। निविदास्वीकार होने पर रू.20000/- (रू. दस हजार मात्र) सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा करानी होगी जो कि अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के एक माह बाद लौटाई जाएगी।

२३. इस अनुबंध में वर्णित शर्तो के अलावा अन्य सभी प्रकरण समिति के नियमों के अनुसार निर्णित किये जायेंगे।

24. निविदादाता एवं प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा के मध्य कोई विवाद होता है तो इस संबंध में उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति पुणे का निर्णय मान्य होगा एवं कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र पुणे होगा।

25. प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा द्वारा टाटा. Qualis, तवेरा बोलेरो महिन्दा स्कापिओ डिजल, (दोनो मॉडल2015-18) में से कोई एक वाहन अनुबंध आधार पर लिया जाएगा।

नोट:- प्राप्त निविदायें दिनांक / 06/ 2018 को 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं का समक्ष कार्यालय में खोली जाएगी।

प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा

नोट:- उपरोक्त 1 से 25 तक अंकित शर्ते एवं निबन्धन का अवलोकन किया गया जो की निविदादाता को मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम:-

पता:-

दूरभाष:-

दिनांक:-